

अध्याय-II
वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

अध्याय-II


वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

2.1.1 विनियोजन लेखे, विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यार्थ दत्तमत्त अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत्त एवं प्रभारित व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट आकलनों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों तथा पुनर्विनियोजनों को पृथक रूप से सूचीबद्ध करते हैं तथा बजट की दोनों प्रभारित व दत्तमत्त दोनों मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय को इंगित करते हैं। इस प्रकार, विनियोजन लेखे वित्त के प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधान के अनुश्रवण को सुविधाजनक बनाते हैं इसलिए ये वित्त लेखों के सम्पूरक हैं।

विनियोजन लेखे बजट निरूपण एवं कार्यान्वयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के साथ आंकड़े अधिकृत करते हैं (चार्ट 2.1)।

चार्ट 2.1: बजट कार्यान्वयन का प्रवाह चार्ट



स्रोत: बजट नियमावली एवं विनियोजन लेखाओं में निर्धारित प्रक्रिया पर आधारित

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि वास्तविक रूप से विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा संविधान के प्रावधान के अंतर्गत प्रभारित किए जाने वाले अपेक्षित व्यय के अनुसार प्रभारित किया गया है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा में बजट एवं व्यय प्रबंधन तथा बजट नियमावली के प्रावधानों की उपेक्षा से सम्बंधित पाई गई कमियों की चर्चा आगामी परिच्छेदों में की गई है।

2.2 विनियोजन लेखे का सारांश

वर्ष 2018-19 में व्यय का कुल प्रावधान ₹ 46,984.68 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक कुल व्यय ₹ 42,469.10 करोड़ (90.38 प्रतिशत) था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4,515.58 करोड़ की बचत हुई। ₹ 3,142.66 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान का 7.2 प्रतिशत रहा। 2018-19 के दौरान कुल 32 अनुदानों/विनियोजनों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षेप स्थिति तालिका 2.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.1: 2018-19 के मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति
(₹ करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत ⁽⁻⁾ / आधिव्य (+)
	1	2	3	4	5	6
दत्तमत	I - राजस्व	31,588.81	701.29	32,290.10	28,522.49	(-) 3,767.61
	II - पूंजीगत	4,297.63	641.07	4,938.70	4,629.70	(-) 309.00
	III - ऋण एवं अग्रिम	448.13	259.81	707.94	467.98	(-) 239.96
कुल दत्तमत		36,334.57	1,602.17	37,936.74	33,620.17	(-) 4,316.57
प्रभारित	IV - राजस्व	4,323.25	91.08	4,414.33	4,164.65	(-) 249.68
	V - पूंजीगत	0	10.71	10.71	10.93	0.22
	VI - लोक ऋण-चुकोती	3,184.20	1,438.70	4,622.90	4,673.35	50.45
कुल प्रभारित		7,507.45	1,540.49	9,047.94	8,848.93	(-) 199.01
आकस्मिक निधि (यदि कोई है) से विनियोजन		शून्य				
सकल योग		43,842.02	3,142.66	46,984.68	42,469.10	(-) 4,515.58

स्रोत: विनियोजन लेखे

नोट: ऊपर दर्शाया गया व्यय, राजस्व एवं पूंजी शीर्षों के अन्तर्गत व्यय में कमी के रूप में लेखाओं में समायोजित वसूलियों को लिए बिना, कुल आंकड़े हैं।

2.2.1 विनियोजन लेखाओं का विश्लेषण: 2018-19

चार्ट 2.2: वास्तविक व्यय की तुलना में प्रावधान की सारांशित स्थिति




वर्ष 2018-19 के दौरान अनुदानों /विनियोजनों के अंतर्गत दर्ज ₹ 4,515.58 करोड़ की कुल बचतें राजस्व प्रवर्ग के 29 अनुदानों व आठ विनियोजनों में तथा पूंजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत 23 अनुदानों व एक विनियोजन में ₹ 5,336.95 करोड़ की बचतें तथा राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत हुई जिसका समायोजन राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत तीन अनुदानों व तीन विनियोजनों, तथा पूंजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत तीन अनुदानों व दो विनियोजनों में ₹ 821.37 करोड़ के आधिव्य का परिणाम थी। इस अवधि के दौरान ₹ 4,515.58 करोड़ की कुल बचतें अभ्यर्पित की गई। इस अवधि के दौरान ₹ 42,469.10 करोड़ का व्यय भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार द्वारा अस्थाई नकदी संतुलन हेतु लिए गए ₹ 1,496 करोड़ के अर्थोपाय अग्रिमों के पुनर्भुगतान सहित था। इस प्रकार वर्ष के दौरान निवल व्यय ₹ 40,973.10 करोड़ अर्थात् कुल बजट प्रावधान का 87.21 प्रतिशत था। ₹ 821.37 करोड़ के व्ययाधिव्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमितिकरण की आवश्यकता है।

⁸ निधियों की प्रयुक्ति में गिरावट।

2.2.2 पूंजीगत एवं राजस्व

पूंजीगत एवं राजस्व दोनों क्षेत्रों में बचत पाई गई (**चार्ट 2.3**)। पूंजीगत क्षेत्र में बचतें (₹ 499 करोड़) बजट प्रावधान की 4.8 प्रतिशत थी। अनुसूचित जाति उप योजना (₹ 154.08 करोड़), सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता (₹ 151.79 करोड़), विद्युत (₹ 131.45 करोड़) तथा जनजातीय विकास (₹ 82.25 करोड़) में पर्याप्त बचतें हुईं।

चार्ट 2.3: पूंजीगत एवं राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत व्यय तथा बजट प्रावधान



स्रोत: विनियोजन लेखे।

राजस्व क्षेत्र में बचतें (₹ 4,017 करोड़) बजट प्रावकलन का 10.94 प्रतिशत थी। शिक्षा (₹ 955.16 करोड़), अनुसूचित जाति उप योजना (₹ 390.87 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 383.93 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 330.87 करोड़), लोक निर्माण, सड़कें, पुल एवं भवन (₹ 282.96 करोड़) में पर्याप्त बचतें पाई गईं।

अनुदान-वार विश्लेषण

राज्य सरकार में विभिन्न विभागों द्वारा 32 अनुदानों के अन्तर्गत व्यय किया जाता है। ₹ 4,515.18 करोड़ की निवल बचत विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बचतों तथा आधिक्यो का परिणाम थी (**तालिका 2.2**)।

तालिका 2.2: विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत हुए कुल आधिक्य अथवा बचतें

विवरण	राजस्व		पूंजीगत		राशि (₹ करोड़ में)
	अनुदानों ⁹ की संख्या	विनियोजनों ¹⁰ की संख्या	अनुदानों की संख्या	विनियोजनों की संख्या	
जिनमें बचतें हुईं	29	08	23	01	5,336.95
जिनमें व्यय आधिक्य हुआ	03	03	03	02	821.37

स्रोत: विनियोजन लेखे।

अनुदान जिनमें उच्च बचतें तथा अधिक व्यय हुआ है, को **परिशिष्ट 2.1 व 2.8** में सूचिबद्ध किया गया है।

⁹ अनुदान - विधान सभा द्वारा दत्तमत व्यय करने हेतु अनुदान के प्रावधान हेतु मतदान किया जाता है।

¹⁰ विनियोजन - व्यय करने हेतु बजट में किया गया ऐसा प्रावधान है जो सीधा पारित होता है और विधान सभा के मतदान अधीन नहीं होता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि व्ययाधिक्य ऐसे अनुदानों के अन्तर्गत थे जो दैनिक प्रशासन हेतु निधियां उपलब्ध करवाते हैं जबकि बचतें ऐसे अनुदानों के अंतर्गत थीं जो मुख्य स्कीमों हेतु निधियां उपलब्ध करवाते हैं।

राज्य सरकार स्वीकृत बजट के प्रति व्यय की प्रगति का नियमित रूप से अनुश्रवण करे ताकि आवश्यकता के अनुसार आवंटित निधियों की उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 प्रावधानों की तुलना में आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204(3) के अनुसार ऐसे विनियोजन के अंतर्गत जो इस अनुच्छेद के प्रावधानानुसार पास किए गए कानून द्वारा निर्मित हो, के अतिरिक्त राज्य की संचित निधि में से किसी भी राशि का आहरण नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त के बावजूद भी 2018-19 में बजट प्रावधान से ₹ 821.37 करोड़ का अधिक व्यय किया गया जो कि इस बात का सूचक है कि बजट प्रावधानों की समीक्षा उचित प्रकार से नहीं की गई। ऐसे विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों जहां सकल व्यय (कुल ₹ 10,541.41 करोड़) सात मामलों में एक करोड़ या अधिक (कुल ₹ 820.96 करोड़) सहित स्वीकृत प्रावधानों से बढ़ा है, जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.1** में दिया गया है।

व्ययाधिक्य से बचने के लिए दोषी विभागों के विरुद्ध दृढ़ उपायों को करने की आवश्यकता है व्ययाधिक्य करने हेतु कोई भी संतोषजनक कारण सामने नहीं आता जबकि सरकार के पास एक वर्ष में विधानसभा के तीन सत्रों के दौरान अनुदानों हेतु अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करने के अवसर होते हैं।

इसके अतिरिक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार को किसी अनुदान/विनियोजन पर हुए व्ययाधिक्य को राज्य विधान सभा से नियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि व्यय के नियमितिकरण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, व्ययाधिक्य का नियमितिकरण विनियोजन लेखों पर चर्चा के निष्कर्ष के पश्चात् लोक लेखा समिति द्वारा किया जाता है। तथापि, 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि हेतु 21 अनुदानों तथा 11 विनियोजनों (**परिशिष्ट 2.2**) के अंतर्गत ₹ 8,333.35 करोड़ के व्ययाधिक्य को फरवरी 2019 तक नियमित करवाना शेष था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान विधानसभा द्वारा प्राधिकृत से अधिक छः दत्तमत अनुदानों और पाँच विनियोजनों के अन्तर्गत ₹ 821.37 करोड़ (**परिशिष्ट 2.3**) के व्ययाधिक्य को भी नियमित करवाना अपेक्षित है।

इतनी लम्बी अवधि तक व्ययाधिक्य का बिना नियमितिकरण के रहना, संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 का उल्लंघन है और वित्तीय नियंत्रण तथा बजटीय प्रणाली को निष्प्रभाव करता है तथा सार्वजनिक संसाधनों के प्रबन्धन में वित्तीय अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है।

2.3.1.1 अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान के परिणामस्वरूप बचत/ व्यय आधिक्य

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के परिच्छेद 1.20 के अनुसार अनुपूरक अनुदान किसी वित्तीय वर्ष को दौरान उस वर्ष हेतु विनियोजन अधिनियम में पहले से ही शामिल की गई राशि से अधिक व्यय को पूरा करने हेतु विनियोजन में शामिल किए गए प्रावधान को संदर्भित करता है।

चार्ट 2.4: अनावश्यक, अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान



स्रोत: विनियोजन लेखे।

- पाँच मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में ₹ 101.27 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं पहुँचा (**परिशिष्ट 2.4**)।
- सात मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में अपूर्ति ₹ 1815.22 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान ₹ 820.72 करोड़ (**परिशिष्ट 2.5**) के सकल सकल व्ययाधिक्य को अपूरित छोड़ते हुए अपर्याप्त सिद्ध हुए। इस अपूरित व्ययाधिक्य में से ₹ 564.88 करोड़ (68.83 प्रतिशत) अनुदान संख्या-05 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन (राजस्व दत्तमत) के अंतर्गत तथा ₹ 106.33 करोड़ अनुदान संख्या-13 सिंचाई तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता (राजस्व दत्तमत) के अंतर्गत व्यय किये गए।

यह इंगित करता है कि प्रशासनिक विभाग मासिक व्यय नियंत्रण तन्त्र के माध्यम से व्यय की खराब निगरानी के कारण वित्त वर्ष के शेष अवधि के लिए निधियों की वास्तविक आवश्यकता का यथार्थ निर्धारण/आकलन नहीं लगा सका।

2.3.2 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई, जहां बचतों का पूर्वानुमान हो, से अन्य इकाई जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, निधियों का अन्तरण है। वर्ष के दौरान किया गया अत्यधिक अभ्यर्ण या अत्यधिक आवर्धन के कारण पुनर्विनियोजन व्यर्थ सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप 18 उप-शीर्षों में ₹ 617.17 करोड़ से अधिक व्ययाधिक्य तथा 12 उप-शीर्षों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) के अंतर्गत ₹ 196.22 करोड़ से अधिक की बचतें हुईं जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में वर्णित है। 16 उप-शीर्षों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) के अन्तर्गत बचतें/आधिक्य थे।

2.3.3 व्यय का तीव्र प्रवाह

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के अनुसार व्यय के तीव्र प्रवाह विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम मास में करने से बचना चाहिए।

उपरोक्त नियमों के विपरीत वर्ष के दौरान 16 अनुदानों/विनियोजनों के अन्तर्गत 57 उप-शीर्षों के सम्बन्ध में जैसा कि **परिशिष्ट 2.7** में सूचिबद्ध है, कुल व्यय (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) का 50 प्रतिशत व्यय या अधिक वर्ष की अन्तिम तिमाही में किया गया (₹ 3,267.46 करोड़)। इसके अतिरिक्त 2018-19 के दौरान इन उप-शीर्षों के अन्तर्गत किये गए कुल ₹ 3,886.79 करोड़ के व्यय में से ₹ 3,005.45 करोड़ (77 प्रतिशत) का व्यय, माह मार्च 2019 के दौरान किया गया। अन्तिम तिमाही में विशेषकर मार्च माह के दौरान व्यय का प्रवाह, वित्तीय नियमों के गैर-अनुपालन को दर्शाता है।

कुछ मुख्य-शीर्षों, जहाँ ₹ 10 करोड़ या कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक का व्यय अंतिम तिमाही या वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के दौरान किया गया, का विवरण **तालिका 2.3** में दिया गया है।

तालिका 2.3: वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०.	मुख्य शीर्ष (दत्तमत/प्रभारित)	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2019 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	2216- आवास	103.31	69.00	66.79	56.18	54.38
2.	2711- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी	44.23	24.63	55.69	22.35	50.54
3.	4059- सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	139.06	102.18	73.48	91.08	65.50
4.	4070-अन्य प्रशासनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	21.99	17.35	78.90	13.46	61.21
5.	4210- चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	345.61	264.21	76.45	223.20	64.58
6.	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	73.31	61.70	84.16	50.47	68.84
7.	4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	226.6	156.32	68.99	133.91	59.10
8.	4705-कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	42.02	30.38	72.30	26.28	62.54
9.	4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	250.00	130.73	52.28	130.73	52.29
10.	4851- ग्रामीण एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	46.43	360.69	79.02	26.11	56.24
11.	5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	53.86	30.09	55.33	28.18	52.33
	योग	1346.42	1247.28		801.95	

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी0एल0सी0।

वर्ष के अंत में व्यय का तीव्र प्रवाह निष्फल, नगण्य एवं दोषपूर्ण योजनाबद्ध व्यय की ओर ढकेलता है। विभाग ये सुनिश्चित करे कि वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचने के लिए जहां तक व्यवहार्य हो, पूरे वर्ष निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप निधियों का व्यय एक समान रूप से किया जाए।

2.3.4 आवंटन प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोजन

विनियोजन की लेखापरीक्षा में 46 मामलों में से प्रत्येक मामले में बचतें कुल प्रावधान से ₹ एक करोड़ या अधिक अथवा 20 प्रतिशत से अधिक पाई गईं (परिशिष्ट 2.8)। ₹ 36,758.07 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति वास्तविक व्यय ₹ 31,423.91 करोड़ का था तथा ₹ 5,334.16 करोड़ की बचतें हुईं।

12 अनुदानों में, ₹ 5,334.16 करोड़ की कुल बचतों में से ₹ 4,663.77 करोड़ (87 प्रतिशत) की राशि के 14 मामलों में अत्याधिक बचतों (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ अथवा अधिक) का विवरण तालिका 2.4 में दिया गया है।

तालिका 2.4: ₹100 करोड़ से अधिक की बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या व नाम	कुल अनुदान	व्यय	बचतें (प्रतिशत)
राजस्व दत्तमत				
1.	07- पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	1,312.64	1,168.81	143.83(11)
2.	08- शिक्षा	6,124.09	5,168.92	955.16(15)
3.	09- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,994.23	1,663.40	330.83(16)
4.	10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें पुल तथा भवन	3,308.06	3,039.02	269.04(8)
5.	16- वन एवं वन्य जीव	543.36	413.04	130.31(24)
6.	20- ग्रामीण विकास	1,546.35	1,162.42	383.93(25)
7.	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	558.47	440.12	118.35(21)
8.	29- वित्त	5,994.83	5,054.90	939.93(16)
9.	31- जनजातीय विकास	1,264.92	939.20	325.72(26)
10.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	1,349.89	959.02	390.87(29)
राजस्व प्रभारित				
11.	29- वित्त	4,260.00	4,021.52	238.48(6)
पूँजीगत-दत्तमत				
12.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	777.83	626.04	151.79(19)
13.	23-विद्युत विकास	635.08	503.63	131.45 (21)
14.	32- अनुसूचित जाति उप योजना	1,077.08	923.00	154.08(14)
कुल		30,746.83	26,083.04	4,663.77(15)

स्रोत: विनियोजन लेखे

लेखाओं के कुछ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई बचतों के लिए विभाग द्वारा बताए गए कारण (विनियोजन लेखों में अभिलिखित) नीचे दिए गए हैं:

शिक्षा

- शीर्ष 2202-01-101-01(प्राथमिक स्कूलों) के अंतर्गत ₹ 312.29 करोड़ की, शीर्ष 2202-01-101-03 के अंतर्गत ₹165.13 करोड़ की तथा शीर्ष 2202-01-109-01 (माध्यमिक स्कूलों) के अंतर्गत ₹195.80 करोड़ की बचतें रिक्त पदों की पूर्ति न होने से, दैनिक वेतनभोगियों का अनुबंध

कम होने, फर्नीचर पर कम व्यय होने, छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के कम नामांकन तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण थीं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

- ₹ 109.99 करोड़ (2210-03-110-01 ग्रामीण स्वास्थ्य) तथा ₹ 66.51 करोड़ (2210-01-110-03-शहरी स्वास्थ्य) की बचतें रिक्त पदों को न भरने के कारण थीं।

ग्रामीण विकास

- ₹ 75 करोड़ (2501-06-101-09), ₹ 74 करोड़ (2501-06-101-10), ₹ 163.24 करोड़ (2505-02-101-01) की बचतें संहिताबद्ध औपचारिकताओं के पूर्ण न होने के कारण स्कीमों/कार्यक्रमों के गैर-कार्यान्वयन या सुस्त कार्यान्वयन, कुछ स्कीमों के उद्योग विभाग को स्थानान्तरण तथा अनुदानों के न्यून निस्तारण के कारण हुईं।

वित्त

- ₹ 201.47 करोड़ (2049-01-101-89), ₹ 136.03 करोड़ (2071-01-101-03), ₹ 483.78 करोड़ (2071-01-102-02) एवं ₹ 179.10 करोड़ (2071-01-102-02) की बचतें अनुसूची के अनुसार ब्याज के कम भुगतान तथा पेंशन मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुईं।

इन अनुदानों के अंतर्गत भारी मात्रा में बचतें यह दर्शाती हैं कि राज्य सरकार ने बजट प्रावधान निधि की आवश्यकता के वास्तविक आकलन के बिना तैयार किए।

2.3.4.1 निरंतर बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान, 20 अनुदानों में 24 ऐसे मामले थे (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या इससे अधिक), जहां निरंतर बचतें पाई गईं (विवरण परिशिष्ट 2.9 में दिया गया है) उनमें से तीन मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) तालिका 2.5 में इंगित किए गए हैं।

तालिका 2.5: 2014-19 के दौरान निरंतर बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व दत्तमत्त						
1.	08-शिक्षा	385.37	1,076.22	864.96	665.02	955.16
2.	9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	151.89	366.81	295.90	211.66	330.85
3.	20-ग्रामीण विकास	109.86	208.74	121.61	402.93	383.93

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोजन लेखे।

निरंतर अत्यधिक बचतें इंगित करती हैं कि विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावशाली नहीं थे तथा वर्ष के लिए निधियां आबंटित करते समय पिछले वर्षों की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया। इसे पिछले राज्य वित्तीय प्रतिवेदनों में भी दिखाया गया था लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

2.3.4.2 अत्यधिक अभ्यर्पण

संहिताबद्ध औपचारिकताओं की अपूर्णता, भारत सरकार से समरूप राज्यांश निधियों की कम प्राप्ति, विभिन्न योजनाओं के तहत कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने के कारण, स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन न करने अथवा धीमें कार्यान्वयन इत्यादि से 155 उप-शीर्षों (परिशिष्ट 2.10) के सम्बंध में अत्यधिक मात्रा में अभ्यर्पण (मामले जहां कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अभ्यर्पित किया गया) किये गये थे। ₹ 2,951.82 करोड़ राशि के कुल प्रावधान में से ₹ 2,328.25 करोड़ (78.87 प्रतिशत) इन 155 उप-शीर्ष के तहत अभ्यर्पित किये गये थे जिसमें 60 स्कीमों (₹ 801.05 करोड़) (परिशिष्ट 2.11) में शत-प्रतिशत अभ्यर्पण किया गया था शामिल है। 60 स्कीमों में, कुछ स्कीमों के अत्यधिक अभ्यर्पण का विवरण निम्न है:

तालिका 2.6: अत्यधिक अभ्यर्पण वाले अनुदानों व स्कीमों की सूची

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं नाम	स्कीम का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
1	23-विद्युत विकास	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण	181.72
2	08-शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण	78.50
3	20-ग्रामीण विकास	मुख्यमंत्री ग्रामीण आजीविका मिशन	75.00
4	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण	61.17
5	10-लोक निर्माण कार्य-सड़कें पुल तथा भवन	हिमाचल पथ सुधार स्कीम	50.00
6	31-जनजातीय विकास	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम परियोजनाओं को ऋण	46.11
7	23- विद्युत विकास	सतलुज जल विद्युत निगम सीमित	40.00
8	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण	30.05
9	08-शिक्षा	मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केन्द्र	25.00
10	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	सिंचाई क्षेत्र विकास	22.17

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2019 तक 53 शीर्षों में ₹ 5,500.69 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या इससे अधिक) का अभ्यर्पण हुआ (परिशिष्ट 2.12)।

अंतिम कार्य दिवस (31 मार्च 2019) पर निधियों का अभ्यर्पण करना कमजोर वित्तीय नियंत्रणों का परिचायक है जिसके कारण अन्यत्र विकासात्मक उद्देश्यों हेतु निधियों की प्रयुक्ति नहीं हो पाई।

2.3.4.3 प्रत्याशित बचतें जिनका अभ्यर्पण नहीं किया गया

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली (अध्याय 11 का परिच्छेद 11.2) के अनुसार सभी बचतें, जब भी प्रत्याशित हो, व्यय करने वाले विभाग द्वारा 15 जनवरी तक वित्त विभाग को अवश्य अभ्यर्पित की जानी चाहिए। तथापि, निम्नलिखित अनुदानों में यह पाया गया कि ₹ 690.08 करोड़ की कुल बचतों में से ₹ 99.94 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किये थे जैसा कि तालिका 2.7 में विर्णित है।

तालिका 2.7: अभ्यर्पित नहीं किए गए ₹ एक करोड़ एवं इससे अधिक की बचतों के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई
राजस्व-दत्तमत्त				
1.	09- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	330.83	327.89	2.95
2.	14- पशुपालन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य पालन	68.34	58.40	9.94
राजस्व-प्रभारित				
3	04- केन्द्र प्रशासन	2.46	1.28	1.19
4	29- वित्त	238.48	159.99	78.49
पूंजीगत-दत्तमत्त				
5.	20-ग्रामीण विकास	5.70	1.70	4.00
6.	29 - वित्त	8.22	6.30	1.92
7.	31- जनजातीय विकास	36.05	34.60	1.45
	योग	690.08	590.16	99.94

बचत की बड़ी राशि के बावजूद, मुख्य रूप से अनुदान संख्या: 29- वित्त : ₹ 78.49 करोड़ (राजस्व - दत्तमत्त), 14- पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन: ₹ 9.94 करोड़ (राजस्व दत्तमत्त), 20 - ग्रामीण विकास : ₹ 4 करोड़ (पूंजीगत - दत्तमत्त), 9 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण : ₹ 2.95 करोड़ (राजस्व दत्तमत्त), के अंतर्गत पर्याप्त अभ्यर्पण नहीं किए गए थे।

वर्ष की समाप्ति पर बड़े पैमाने पर बचतों/आधिक्यो, पुनर्विनियोजनों व अभ्यर्पणों को टालने के लिए, व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए समस्त विभागों द्वारा वास्तविक बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए ताकि जनधन का अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में प्रभावी उपयोग किया जा सके।

2.4 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन

व्यक्तिगत निक्षेप लेखा समेकित निधि के डेबिट द्वारा सृजित किये जाते हैं और उसे समेकित निधि में सम्बद्ध सेवा शीर्षों में शेष को ऋणात्मक डेबिट द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में बन्द करा दिया जाना चाहिए। कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना से देखा गया कि 15 जिला कोषागारों में 112 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे। 31 मार्च 2019 तक (परिशिष्ट 2.13) इन 112 लेखों में पड़ी ₹ 2.56 करोड़ शेष की स्थिति निम्नवत् है:

- वर्ष के दौरान ₹ 2.43 करोड़ के शेष से युक्त 68 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे।
- ₹ 0.13 करोड़ की राशि से अंतर्ग्रस्त दस व्यक्तिगत निक्षेप लेखे 2010-11 से परिचालन में नहीं थे।

➤ 34 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में शून्य शेष था।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में पड़ी अप्रयुक्त शेष राशि का समेकित निधि में हस्तांतरण न करना, लोक निधियों के दुरुपयोग व धोखा-धड़ी के जोखिम को बढ़ाता है।

2.5 लेखाओं का गलत वर्गीकरण

वर्ष 2018-19 हेतु वित्त एवं विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान व्यय के गलत वर्गीकरण के निम्नलिखित मामले पाए गए:

2.5.1 पूंजीगत व्यय शीर्ष के अंतर्गत सहायता-अनुदान का वर्गीकरण

व्यय के पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत सहायता-अनुदान का संवितरण, भारत सरकार द्वारा मई 2011 में जारी भारत सरकार लेखांकन मानक-2 के विरुद्ध है।

यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा सहायता-अनुदान (अनुदान संख्या 31-जनजातीय विकास) के रूप में ₹ 49 लाख राशि राजस्व शीर्ष के बजाय पूंजीगत शीर्ष 4225-02-796-01-00-42 से संवितरित की गई थी।

2.5.2 बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 का परिचालन

'लघु शीर्ष - 800 अन्य प्राप्तियां' तथा '800- अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग तभी की जानी चाहिए जब लेखाओं में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष - 800 का नियमित परिचालन बंद किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है।

वर्ष 2018-19 हेतु वित्त एवं विनियोजन लेखाओं की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि :

- 44 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, ₹ 1,911 करोड़ की (कुल राजस्व प्राप्तियों का 6.17 प्रतिशत) राजस्व प्राप्तियां (2017-18 के दौरान ₹ 1,315 करोड़) बहुप्रयोजन लघु शीर्ष -800- अन्य प्राप्तियां (परिशिष्ट 2.14) के अंतर्गत वर्गीकृत की गई थी इनमें से 23 मुख्य शीर्ष ऐसे थे जहां प्राप्तियों का बड़ा भाग (50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।
- ₹ 1,298.28 करोड़ का सकल व्यय (2017-18 के दौरान ₹ 961 करोड़) जो कुल व्यय का 3.06 प्रतिशत था, 42 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 800- अन्य व्यय (राजस्व व पूंजीगत) के तहत वर्गीकृत किए गए थे जैसा कि परिशिष्ट 2.15 में वर्णित है।
- सिंचाई, कृषि इत्यादि में सुधार हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं हेतु प्राप्त किए गए ₹1,165 करोड़ राशि के अनुदान (2017-18 के दौरान ₹ 77 करोड़) को लघु शीर्ष 800 में बुक किया गया, दृष्टांत परिशिष्ट 2.16 में दर्शाए गए हैं।

ये मुद्दे राज्य के वित्त पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी उठाए गए थे। तथ्यों को स्वीकार करने तथा वर्तमान प्रचलनों को बंद करने का आश्वासन देने के बावजूद, राज्य

सरकार ने इन प्रचलनों को जारी रखा। यहां तक की, विगत वर्ष की अपेक्षा 2018-19 के दौरान लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों/व्यय की बुकिंग में वृद्धि हुई। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष 800 अन्य व्यय/प्राप्तियों के अंतर्गत बड़ी राशियों की बुकिंग वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

2.6 चुने हुए अनुदानों की समीक्षा

दो अनुदानों के संदर्भ में (अनुदान संख्या 10 'लोक कार्य-सड़क, पुल व भवन' एवं अनुदान संख्या 11 'कृषि') व्यय के सापेक्ष बजटीय प्रक्रिया तथा नियंत्रण की समीक्षा (जुलाई-सितम्बर 2019) की गई थी। मूल अनुदानों में भिन्नता, अनुपूरक मांगे एवं वास्तविक व्यय जैसे मुद्दों का विश्लेषण किया गया था।

2.6.1 अनुदान संख्या 10-लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल तथा भवन

वर्ष 2018-19 हेतु अनुदान की समीक्षा के दौरान पाए गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं का वर्णन नीचे दिया गया है:

- (i) विगत पांच वर्षों (2014-15 से 2018-19) हेतु राजस्व एवं पूंजीगत (दत्तमत्त) के अंतर्गत आवंटित की गई, व्यय की गई तथा हुई बचतों/आधिक्य की निधियों की समग्र स्थिति तालिका 2.8 में दी गई है:

तालिका:2.8: 2014-19 के दौरान आवंटित, व्यय की गई एवं हुई बचतों/आधिक्य की निधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्षेत्र	मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचते (-) / आधिक्य (+) (प्रतिशत में)
2014-15	राजस्व	2,445.80	0.18	2,445.98	2,439.95	-6.03 (-)
	पूंजी	514.91	108.82	623.73	611.90	-11.83 (2)
2015-16	राजस्व	2,446.71	52.79	2,499.50	2,421.86	-77.64 (3)
	पूंजी	890.26	70.69	960.95	1,024.04	63.09 (7)
2016-17	राजस्व	2,794.30	10.48	2,804.78	2,790.89	-13.89 (-)
	पूंजी	875.87	119.39	995.26	1,103.26	108.00 (11)
2017-18	राजस्व	2,839.12	155.70	2,994.82	3,131.78	136.96 (5)
	पूंजी	1,062.12	135.42	1,197.54	1,155.27	-42.27 (4)
2018-19	राजस्व	3,308.06	0	3,308.06	3,039.02	-269.04 (8)
	पूंजी	1,216.28	219.60	1,435.88	1,485.58	49.70 (3)

- वर्ष 2014-19 के दौरान राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत हुई निरंतर बचतें (2017-18 को छोड़कर) अनुमानित बजट प्रावधानों को लब्ध न करने का परिचायक है।
- ₹ 375.75 करोड़ का व्यय आधिक्य-राजस्व: ₹ 136.96 करोड़ (2017-18) एवं पूंजीगत: ₹ 220.79 करोड़ (2015-16, 2016-17 व 2018-19) को विधानसभा से विनियमन की आवश्यकता है।

- ₹ 63.45 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान (2014-15: ₹ 0.18 करोड़; 2015-16: ₹ 52.79 करोड़ एवं 2016-17: ₹ 10.48 करोड़) अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंच सका।
- (ii) वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 3,308.06 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के प्रति ₹ 3,039.02 करोड़ का व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 269.04 करोड़ की बचतें हुईं। दूसरी ओर, पूंजीगत क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 219.60 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान ₹ 49.70 करोड़ के कुल व्यय आधिक्य को अपूरित छोड़ते हुए अपर्याप्त सिद्ध हुए।
- (iii) वर्ष 2018-19 के दौरान, 17 उप-शीर्षों में (₹ 2,610.19 करोड़) से ₹ 685.65 करोड़ राशि जो 19 तथा 100 प्रतिशत के मध्य थी, का पर्याप्त अभ्यर्पण किया गया, जैसा की परिशिष्ट 2.17 में विवरण दिया गया है।

2.6.2 अनुदान संख्या 11 - कृषि

वर्ष 2018-19 हेतु अनुदान की समीक्षा के दौरान पाए गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं का विवरण नीचे दिया गया है:

- (i) विगत पाँच वर्षों (2014-15 से 2018-19) के अंतर्गत आवंटित, व्यय की गई तथा हुई बचतों / आधिक्य की निधियों की सकल स्थिति तालिका 2.9 में दी गई है:

तालिका 2.9: बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय एवं बचतों/आधिक्य का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	क्षेत्र	मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचतें (-)/ आधिक्य(+) (प्रतिशत में)
2014-15	राजस्व	244.90	1.02	245.92	256.80	10.88 (4)
	पूंजी	52.26	0.00	52.26	52.26	0.00 (-)
2015-16	राजस्व	344.14	0	344.14	305.67	-38.47 (11)
	पूंजी	61.53	5.00	66.53	66.53	0.00 (-)
2016-17	राजस्व	351.38	8.06	359.44	332.40	-27.04 (8)
	पूंजी	56.82	3.00	59.82	59.78	-0.04 (-)
2017-18	राजस्व	349.51	31.72	381.24	369.94	-11.30 (3)
	पूंजी	61.95	0.00	61.95	61.76	-0.19 (-)
2018-19	राजस्व	482.27	0	482.27	409.60	-72.67 (15)
	पूंजी	73.84	0.00	73.84	71.01	-2.83 (4)

स्रोत: विनियोजन लेखे

(कोष्ठक के आंकड़ें प्रतिशत दर्शाते हैं।)

- (ii) राजस्व (दत्तमत्त) क्षेत्र के अंतर्गत कुल प्रावधान की 3 से 15 प्रतिशत की निरंतर बचत 2015-19 के दौरान अनुमानित बजट प्रावधानों को लब्ध न करने का परिचायक है।
- (iii) वर्ष 2018-19 के दौरान अनुदान (राजस्व क्षेत्र: ₹ 482.27 करोड़ एवं पूंजीगत क्षेत्र: ₹ 73.84 करोड़) के अंतर्गत ₹ 556.11 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति ₹ 480.61 करोड़ का

व्यय (राजस्व क्षेत्र: ₹ 409.60 करोड़ एवं पूंजीगत क्षेत्र: ₹ 71.07 करोड़) हुआ जो ₹ 75.50 करोड़ (19 प्रतिशत) की बचतों में परिणत हुआ, यह दर्शाता है कि बजट प्राक्कलन वास्तविक आधार पर नहीं बनाए गए थे।

- (iv) पांच उप-शीर्षों में, मूल प्रावधान से 13 से 100 प्रतिशत तक ₹ 30.48 करोड़ राशि का व्यय आधिक्य (प्रत्येक मामले में ₹ 15 लाख एवं अधिक अथवा 20 प्रतिशत एवं अधिक) हुआ जैसा की परिशिष्ट 2.18 में वर्णित है।
- (v) 17 उप-शीर्षों के तहत किए गए ₹ 100.12 करोड़ के बजट प्रावधान (₹ 20 लाख व अधिक अथवा 20 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर अप्रयुक्त पाए गए जैसाकि परिशिष्ट 2.19 में वर्णित है।
- (vi) दो योजनाओं/शीर्षों (2401-00-105-03: ₹ 3 करोड़ एवं 2401-00-800-14: ₹ 1.91 करोड़) के अंतर्गत ₹ 4.91 करोड़ का सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 4.91 करोड़ राशि का सकल प्रावधान पुनर्विनियोजन के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर आहरित किया गया।

2.7 कोषागारों के निरीक्षण का परिणाम

वर्ष 2018-19 में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा जिला कोषागारों/कोषागारों का वर्ष 2017-18 के लिए निरीक्षण के दौरान, निम्नलिखित बिन्दु सामने आए:

2.7.1 पेंशन लाभों का अधिक भुगतान

पेंशन भुगतान अभिलेखों की नमूना-जांच में पाया गया कि दो जिला कोषागार अधिकारियों ने आठ पारिवारिक पेंशनभोगियों को ₹ 2.66 लाख की सीमा तक अधिक भुगतान किया जैसा कि तालिका 2.10 में वर्णित है। अधिक भुगतान, 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पारिवारिक पेंशन के प्राधिकरण एवं रूपांतरित भाग की कटौती न करने से हुआ।

तालिका 2.10: पेंशन लाभों का अधिक भुगतान (पारिवारिक पेंशन में)

क्रम स०	कोषागार का नाम (जिला/कोषागार)	अधिक भुगतान की प्रकृति	मामलों की संख्या	भुगतान		
				बैंक द्वारा	कोषागार द्वारा	कोषागार-वार कुल (₹ लाख में)
1.	जिला कोषागार काज़ा	रूपांतरित भाग की कटौती न करना	02	---	कोषागार द्वारा	1.83
2.	जिला कोषागार शिमला	25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पारिवारिक पेंशन का भुगतान	06	---		0.83
		कुल	08			2.66

2.7.2 पेंशन लाभों का अनियमित भुगतान

वर्ष 2017-18 हेतु आठ जिला कोषागारों/कोषगारों के पेंशन भुगतान अभिलेखों की नमूना - जांच के दौरान, यह पाया गया कि 60 मामलों में आठ कोषागार अधिकारियों द्वारा पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संदर्भ में ₹ 16.42 लाख की राशि का अधिक भुगतान किया गया। जैसा कि तालिका 2.11 में वर्णित है।

तालिका 2.11: पेंशनभोगियों की मृत्योपरांत पेंशन का अनियमित भुगतान

क्रम सं०	कोषागार का नाम	अधिक भुगतान की प्रकृति	मामलों की संख्या	कोषागार-वार कुल (₹ लाख में)
1.	बिलासपुर	पारिवारिक पेंशन	03	0.17
2.	कांगडा (धर्मशाला)	--उपरोक्त--	18	5.93
3.	रिकांगपिओ (किनौर)	--उपरोक्त--	03	0.23
4.	कुल्लू	--उपरोक्त--	03	0.58
5.	केलांग	--उपरोक्त--	01	0.16
6.	मंडी	--उपरोक्त--	07	0.78
7.	शिमला	--उपरोक्त--	05	0.75
8.	नाहन(सिरमौर)	--उपरोक्त--	20	7.82
	कुल		60	16.42

2.7.3 बिना बजट तथा संस्वीकृति से अधिक भुगतान/बिलों का प्राधिकरण

वर्ष 2017-18 हेतु जिला कोषागारों/कोषगारों के अभिलेखों की नमूना - जांच के दौरान यह पाया गया कि:

- 34 मामलों में, 04 जिला कोषागार अधिकारियों एवं 08 कोषागार अधिकारियों ने 32 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के संदर्भ में ₹ 2.53 करोड़ राशि प्राधिकृत की जहां बजट उपलब्ध नहीं था जैसा कि परिशिष्ट 2.20 में विवरण दिया गया है।
- इसी प्रकार, 12 जिला कोषागार अधिकारियों तथा 61 कोषागार अधिकारियों ने 242 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को उपलब्ध बजट के प्रति ₹ 55.19 करोड़ अधिक राशि प्राधिकृत की जैसा की परिशिष्ट 2.21 में विवरण दिया गया है।

निधियों का अप्राधिकृत आहरण न सिर्फ विधानसभा द्वारा प्रदत्त विनियोजन का उल्लंघन है बल्कि वित्तीय अनुशासनहीनता का भी परिचायक है।

2.7.4 अग्रिमों का असमायोजन

वर्ष 2017-18 हेतु कोषागारों के निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि सात मामलों में से एक जिला कोषागार तथा चार उप-कोषागारों द्वारा ₹ 13.30 लाख राशि के अग्रिमों की ना तो अग्रिम-पंजिका में प्रविष्टि की गई थी, न ही उसे उसी वित्तीय वर्ष में समायोजित किया गया था, जैसा कि तालिका 2.12 में वर्णित है।

तालिका 2.12: अग्रिमों का असमायोजन

क्रम सं०	जिला कोषागार/कोषागार का नाम	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	चौआरी	01	0.05
2.	तिस्सा	01	0.20
3.	कुल्लू	01	12.00
4.	रामपुर	03	0.30
5.	रोहडू	01	0.75
कुल		07	13.30

2.8 निष्कर्ष

वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 46,984.68 करोड़ के कुल अनुदानों एवं विनियोजनों के प्रति ₹ 42,469.10 करोड़ (90.38 प्रतिशत) का व्यय हुआ। ₹ 4,515.58 करोड़ की समग्र बचतें विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों में हुई ₹ 5,336.95 करोड़ की बचतों में से ₹ 821.37 करोड़ के व्यय आधिक्य को घटाने के परिणामस्वरूप हुई, जिसे 2013-14 से 2017-18 की अवधि हेतु ₹ 8,333.35 करोड़ के व्यय आधिक्य में जोड़ते हुए, भारत के संविधान की धारा 205 के तहत राज्य विधानसभा से नियमितकरण करवाने की आवश्यकता है।

12 उप-शीर्षों में ₹ 1,916.49 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक, अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय या तो मूल प्रावधान तक नहीं पहुंचा अथवा कुल व्यय आधिक्य को अपूरित छोड़ते हुए कुल प्रावधान से अधिक हुआ। 18 उप-शीर्षों में निधियों का पुनर्विनियोजन (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) अनुचित रूप से किया गया था जो आधिक्य, बचतों के रूप में परिणत हुआ। 155 उप-शीर्षों में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल प्रावधान (₹ 2,951.82 करोड़) में से (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) 74.35 प्रतिशत (₹ 2,328.25 करोड़) का अभ्यर्पण हुआ। लेखा के 60 शीर्षों में, 100 प्रतिशत (₹ 801.05 करोड़ राशि का) का अभ्यर्पण हुआ।

लेखा के 11 शीर्षों में, वर्ष की अंतिम तिमाही में 52 तथा 84 प्रतिशत तक व्यय हुआ तथा इन शीर्षों के तहत 2019 के अकेले मार्च माह के दौरान हुआ व्यय कुल व्यय का 51 से 69 प्रतिशत था।